2018 का विधेयक संख्यांक 199

[दि राइट टू वर्क बिल, 2018 का हिन्दी रूपांतर]

डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य

का

काम का अधिकार विधेयक, 2018

प्रत्येक पात्र नागरिक को काम का अधिकार और प्रत्येक नागरिक को समुचित काम दिए जाने तक भत्ता के संदाय, काम का अधिकार निधि की स्थापना, काम का अधिकार बीमा नीति का सृजन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और विस्तार।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम काम का अधिकार अधिनियम, 2018 है।

(*2*) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

5 (क) ''रोजगार कार्यालय'' से किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित रोजगार कार्यालय अभिप्रेत है;

(ख) ''निधि'' से धारा 9 की उपधारा (*1*) के अधीन स्थापित ''काम का अधिकार निधि'' अभिप्रेत है;

(ग) ''सरकार'' से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(घ) ''अधिसूचना'' से केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है; और

(ङ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

काम का अधिकार।

3. धारा 7 और धारा 12 के उपबंधों के अध्यधीन प्रत्येक नागरिक, जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और जो बेरोजगार होने के कारण किसी रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत है, को समुचित काम, जो उसे सरकार द्वारा दिया जाएगा, का अधिकार होगा।

दिए जाने वाले कार्य का स्वरूप।

4. धारा 3 के अधीन सरकार द्वारा दिया जाने वाला कार्य संबंधित नागरिक की आयु और योग्यता के उपयुक्त होगा।

भत्ता प्रदान करना।

5. धारा 3 के अधीन किसी नागरिक के लिए काम का प्रबंध होने तक, वह उतने भत्ते, जैसा कि विहित किया जाए, और जो प्रत्येक सप्ताह पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा, का/की हकदार होगा/होगी।

रोजगार कार्यालय द्वारा नाम हटाया जाना।

6. यदि कोई नागरिक रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने के पश्चात् अपनी ओर से या अन्यथा कोई काम या नौकरी प्राप्त करता है, तो वह रोजगार कार्यालय को तुरन्त सूचित करेगा और रोजगार कार्यालय द्वारा उसकी नौकरी या काम प्राप्त करने की तारीख से उसका नाम हटा दिया जाएगा।

अधिनियम का कतिपय नागरिकों पर लागू न होना।

7. इस अधिनियम के उपबन्ध किसी ऐसे नागरिक पर लागू नहीं होंगे,—

(क) जिसकी आय किसी एक या अधिक स्रोतों से धारा 5 के अधीन नियत भत्ते की राशि से कम नहीं है;

(ख) जो किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में विद्यमान बेरोजगारी भत्ते की किसी योजना के अधीन आता है।

भत्ते को कम करना।

8. जहां कोई नागरिक बेरोजगार होने के कारण रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत है, किन्तु किसी स्रोत से उसकी स्वयं की आय है, तो धारा 5 के अधीन हकदार भत्ते की राशि में से उसकी ऐसी आय की राशि कम कर दी जाएगी।

'काम का अधिकार निधि' का गठन।

9. (*1*) सरकार इस अधिनियम के अधीन भत्ता देने के लिए एक निधि की स्थापना करेगी जिसे ''काम का अधिकार निधि'' कहा जाएगा।

(*2*) सरकार, समय-समय पर इस निधि के लिए ऐसे अनुदान देगी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो,।

(3) निधि में निम्नलिखित जमा किए जाएंगे,—

(क) उपधारा (*2*) के अधीन सरकार द्वारा दिए गए सभी अनुदान;

(ख) निधि में दिए गए सभी स्वैच्छिक दान;

(ग) धारा 10 के अधीन काम का अधिकार बीमा पॉलिसी के संबंध में सभी अंशदान;

(घ) धारा 11 के अधीन एकत्र की गई सभी रकमें; और

(ङ) इस निधि से किए गए किसी भी निवेश पर कोई ब्याज या लाभांश या अन्य प्रतिलाभ।

(*4*) इस अधिनियम के अधीन देय और संदेय सभी राशियों और निधि के प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित सभी व्यय का संदाय निधि में से किया जाएगा।

काम का अधिकार बीमा पॉलिसी।

10. सरकार इस अधिनियम के अधीन संदेय ऐसे भत्ते के पूरे या उसके किसी भाग को शामिल करने के लिए काम का अधिकार बीमा पॉलिसी तैयार करेगी।

11. प्रत्येक नागरिक, जो इस अधिनियम के अधीन काम या भत्ता प्राप्त करता है, कोई काम या नौकरी, के तुरंत पश्चात् विहित कालावधि के लिए निधि में ऐसी दर पर, जो विहित की जाए, अंशदान करेगा। निधि में अंशदान।

12. सरकार, इस अधिनियम के अधीन काम प्रदान करने के अपने प्रयास में नागरिकों की अर्हता के आधार पर या ऐसे अन्य आधार पर, जैसाकि विहित किया जाए, अधिसूचना के द्वारा उनके प्रवर्ग बना सकेगी और ऐसे प्रवर्गों के नागरिकों को धारा 3 के अधीन काम के अधिकार का हकदार बनाएगी: काम के अधिकार के हकदार नागरिकों के प्रवर्ग बनाना।

परन्तु सरकार, सभी पात्र नागरिकों को इस अधिनियम के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर काम का अधिकार प्रदान करेगी।

13. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, सरकार यथाशीघ्र निधि के कार्यकरण और प्रशासन तथा उस वर्ष के दौरान इस अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में वार्षिक रिपोर्ट तैयार कराएगी और उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी और ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट उस रूप में होगी और उसमें ऐसे विषय अन्तर्विष्ट होंगे, जो विहित किये जाएं। सरकार द्वारा वार्षिक रिपोर्ट।

14. (*1*) सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(*2*) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 5 में विनिर्दिष्ट भत्ते की दर और भिन्न-भिन्न दरें अर्हता और कुशलता के आधार पर विहित की जा सकेंगी;

(ख) धारा 10 में विनिर्दिष्ट काम का अधिकार बीमा से संबंधित आवश्यक ब्योरे;

(ग) धारा 11 के अधीन निधि में अंशदान की दर;

(घ) धारा 12 के अधीन नागरिकों का प्रवर्ग बनाने का आधार;

(ङ) धारा 13 में उल्लिखित वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप और विषय-वस्तु;

(च) इस अधिनियम के अधीन सभी संदायों को विनियमित करने की प्रक्रिया; और

(छ) ऐसा कोई अन्य विषय जो विहित किये जाने के लिए अपेक्षित हो अथवा विहित किया जाए।

(*3*) इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और धारा 12 के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना बनाए जाने अथवा जारी किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा/रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उक्त सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी। यदि उक्त अवसान से पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा/जाएगी। किन्तु उस नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को जीवन के मूल अधिकार की गारंटी दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि जीवन के अधिकार को सार्थक बनाने की दृष्टि से उसमें एक बेहतर जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक साधनों की उपलब्धता की कल्पना की गई। परंतु दूसरी ओर बेरोजगारी की समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। यहां तक कि शिक्षित नागरिक भी दरिद्र हो गये हैं। देश में रोजगार के अवसरों की कमी होने से भी प्रतिभा पलायन हो रहा है और बड़ी संख्या में कुशल और अकुशल व्यक्ति विदेश जा रहे हैं।

यह उचित समय है जब नागरिकों को काम देना सुनिश्चित करने के लिये राज्य द्वारा संगठित प्रयास किए जाएं। इस विधयेक में प्रत्येक नागरिक को काम का विधिक अधिकार दिया गया है। कोई भी नागरिक काम प्राप्त करने तक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

विधेयक में सरकार द्वारा 'काम का अधिकार निधि' की स्थापना किए जाने का भी उपबंध है। निधि, सरकार द्वारा दिए गए अनुदान तथा नागरिकों से, जो पंजीकरण के पश्चात् रोजगार प्राप्त करते हैं, विहित दर पर और विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अंशदान आदि प्राप्त करेगी। इसमें वित्त जुटाने के लिए काम के अधिकार बीमा को बढ़ावा देने का भी उपबंध है।

यह विधेयक यथार्थवादी है क्योंकि इसमें काम के अधिकार को क्रमिक रूप से आरंभ किए जाने का उपबंध है। सर्वप्रथम, सरकार नागरिकों की योग्यता अथवा किसी अन्य आधार पर उनका प्रवर्ग बना सकेगी और ऐसे प्रवर्ग के नागरिकों को काम के अधिकार का हकदार बना सकेगी ताकि इस अधिनियम के लागू होने से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी नागरिकों को क्रमिक रूप से काम का अधिकार मिल सके।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
27 *नवम्बर*, 2018

उदित राज

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 3 में काम का अधिकार का उपबंध किया गया है। विधेयक के खंड 5 में ऐसे नागरिक को भत्ता देने का उपबंध किया गया है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है और जिसका नाम बेरोजगार होने के कारण, किसी रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत है। ऐसा नागरिक रोजगार दिए जाने तक उतना भत्ता जितना कि विहित किया जाए और जो कम से कम दो सौ रुपये प्रति सप्ताह होगा, प्राप्त करने का/की हकदार होगा/होगी। खंड 9 में इस अधिनियम के अधीन भत्ते की मंजूरी हेतु 'काम का अधिकार निधि' के गठन का उपबंध है। इस पर होने वाले आवर्ती व्यय का सही-सही अनुमान लगाना कठिन है। तथापि, विधेयक के उपबंधों पर भारत की संचित निधि में से प्रतिवर्ष लगभग पांच सौ करोड़ रुपये का आवर्ती व्यय होने का अनुमान है। इस पर रोजगार की स्थिति में सुधार होने और स्वैच्छिक दान, रोजगार पाने वाले नागरिकों से अंशदान और 'काम का अधिकार बीमा' से अंशदान प्राप्त होने पर आवर्ती व्यय में भारी कमी होने की संभावना है।

इस पर कोई भी अनावर्ती व्यय होने की संभावना नहीं है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खंड 14 केन्द्रीय सरकार को विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करता है। चूंकि ये नियम केवल ब्योरे के मामलों से ही संबंधित होंगे। अत: विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

प्रत्येक पात्र नागरिक को काम का अधिकार और प्रत्येक नागरिक को समुचित काम दिए जाने तक भत्ता के संदाय, काम का अधिकार निधि की स्थापना, काम का अधिकार बीमा नीति का सृजन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

(डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य)

MGIPMRND—2224LS(S3)—18.12.2018.